

वदियुत दरों पर सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सहि चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रपरिषद की वरचुअल बैठक में वत्तीय वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को वदियुत दरों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का नरिणय लयिा गया ।

प्रमुख बदि

- घरेलू उपभोक्ताओं के लयिा लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासकि खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दयि जाने और अनुसूचित जात एवं जनजात के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जनिकी मासकि खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रुपए प्रतिमाह के मान से 4 माह में 100 रुपए लयि जाने का प्रावधान इस वर्ष भी रखा गया है ।
- इसके साथ ही गृह ज्योति योजना में 4981.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है ।
- कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी वदियुत दरों में राहत प्रदान करने का नरिणय लयिा है । 10 हॉर्सपॉवर तक की क्षमता के मीटर रहति स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी । शेष राशा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी । इसके लयिा राज्य सरकार द्वारा वतिरण कंपनयिों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी । इस नरिणय से मध्य प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभानवति होंगे ।
- 10 हॉर्सपॉवर से अधिक की क्षमता के मीटर रहति स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी । शेष राशा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वतिरण कंपनयिों को देय होगी । इसके लयिा 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी । इससे प्रदेश के लगभग 50 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभानवति होंगे ।
- मीटरयुक्त स्थाई और अस्थायी कृषि पंप संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नयित प्रभार में छूट दी जाएगी । छूट राशा का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनयिों को कयिा जाएगा । इसके लयिा 350 करोड़ रुपए की राशा देय होगी एवं इससे लगभग 2 लाख अस्थायी एवं 20 हजार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता लाभानवति होंगे ।
- एक हेक्टेयर तक की भूमा वाले 5 हॉर्सपॉवर तक के अनुसूचित जात और जनजात के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुलक वदियुत प्रदाय की जाएगी । देयक की संपूरण राशा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी एवं इससे लगभग 9 लाख 25 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभानवति होंगे । इसके लयिा राज्य शासन द्वारा 4,733 करोड़ रुपए की राशा सब्सिडी के रूप में वतिरण कंपनयिों को दी जाएगी ।
- उच्च दाब उदवहन/समूह सचिाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षकि न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी । छूट राशा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी । इसके लयिा 90 करोड़ रुपए की राशा सब्सिडी के रूप में देय होगी ।
- मंत्रपरिषद द्वारा लयिा गए नरिणय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वदियुत देयक में 15,722.87 करोड़ रुपए की वार्षकि राहत प्राप्त होगी ।